बाल मजदूरी

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

बाल मजदूरी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। बाल मजदूरी का अर्थ है– ऐसे बालकों से जो कम उम्र में मजदूरी करने लगते हैं। कम उम्र में किसी से बेगार लेना एक प्रकार का अपराध है। कम उम्र के बालक–बालिकाओं से बेगार लेना संवेधानिक अपराध घोषित किया गया है। जिस उम्र में बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उस उम्र में यदि वे होटलों, कलकारखानों और कुड़ा–करकट के ढ़ेरों में से कबाड़ बिनने में लगे रहेंगे तो उनका विकास कैसे हो सकता है? जिस उम्र में बालकों के हाथों में किताब होनी चाहिए उस उम्र में यदि वे परिवार के लिए गलियों में घूम–घूमकर कचरा इकट्ठा करेंगे तो उनका पूरा जीवन ही बिगड़ जायेगा।

शिक्षा जीवन निर्माण की कार्यशाला है। शिक्षा से व्यक्ति निर्माण होता है। जो लोग पढ़े–लिखे नहीं होते उन्हें जीवन में पग–पग पर ठोकरे खानी पड़ती है। इसलिए जीवन की प्राथमिक अवस्था शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था है। जिन बच्चों के पास साधन नहीं है। उनके परिवार के लोग बच्चों को होटलों में भेज देते हैं। होटलों में यह बच्चे बर्तन साफ करते है। उन्हें कम पारश्रमिक मिलता है। दिनभर काम करने के बाद उन्हें अकुशल मजदूर मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि वे इस बुराई को दूर करने का प्रयास करें। ऐसे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बच्चों के प्रति करूणा की भावना संवेदनशीलता की भावना होनी चाहिए।

अभाव ग्रस्त बालक–बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं। समाज में साधनहीन लोगों के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं का कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं होता। समाज में जागरूकता पैदा कर छोटे बच्चों को स्कूलों तक लाने का प्रयास

करना चाहिए। स्कूल के अध्यापकों का भी यह कर्तव्य है कि ऐसे बालकों पर वह विशेष ध्यान दें। हमारे देश की सरकार ने बाल मजदूरी के मुद्दे पर कठोर रूप अपनाया है। इस क्रूरता से प्रभावित नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है। वेश्यावृत्ति, उत्खनन, कृषि, माता–पिता के व्यापार में मदद या अन्य छोटे–मोटे कामों में बाल श्रमिकों का लगा दिया जाता है। कुछ बच्चों से बलपूर्वक परिश्रम साध्य काम लिये जाते हैं। जूता पालिस करना, सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगना, सीसी, बातल इकट्ठा करना, घरों में साफ सफाई करना और खाना बनाना आदि कुछ ऐसे कार्य है जहां पर बालश्रमकों को लगा दिया जाता है। ऐसे कार्य सरकारी श्रम निरीक्षकों और मिडिया की जांच से दूर रहते हैं। ऐसे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है जो मानक के हिसाब से कम है।

औद्योगिक क्रांति में चौदह साल से कम बच्चों को कई बार घातक और खतरनाक की स्थितियों के साथ उत्पादन वाले कारखाने में कार्य करने के लिए लगा दिया जाता हैं। बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे पलते हैं। कभी–कभी ये ही बच्चे उनके आय के स्रोत है। बालश्रम कृषि निर्वाह और शहरों के अनोपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। बच्चों को लाभ देने के लिए बालश्रम निरोध को दोनों अल्पावधि आय और दीर्घावधि सम्भावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना होता है। आयु से नीचे के बच्चों को काम करने से रोककर, बच्चों के विकल्प को कम करने को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता हैं। कम उम्र के बच्चे पैसे वालों की ईच्छा के अधीन रहते हैं। बच्चों की सहमती या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक बच्चा कार्य करने के लिए सहमत हो सकता है। यदि इसकी आय आकर्षक है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता किन्तु इस तरह की सहमति को सूचित नहीं किया जा सकता, कार्यस्थल बच्चे के लिए लम्बे समय में अवांछनीय स्थिति पैदा कर सकता है।

बालश्रम का मूल कारण माता–पिता की गरीबी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज पढ़े लिखे भारत में भी बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आमदनी कमाने के लिए होटलों, उद्योग धंधों, चाय की दुकान इत्यादि पर कार्य करवाया जाता है तो वह बालमजदूरी की

श्रेणी में आता है। हमारे देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बालमजदूरी हमारे देश के लिए कलंक बना हुआ है। आज की सदी में भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बालमजदूरी को बड़े लोगों और माफियाओं ने व्यापार बना लिया है। जिसके कारण दिन–प्रतिदिन हमारे देश में बालश्रम बढ़ता जा रहा है। बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही है, साथ ही देश में गरीबी फेलती है और देश के विकास में बाधाएं आती हैं। हमें बालश्रम को जड़ से मिटाने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे, साथ ही स्वयं को भी जागरूक होना होगा। तभी इस बाल मजदूरी के अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। बचपन ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का सुनहरा वक्त होता है। इस सुनहरे अवसर को हमें बोझतले दबाना नहीं चाहिए।